बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक ....

संख्या–08 / बु०वि०–10–02 / 2025 .... / माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या 19828 / 2025 में दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में समीक्षोपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है।

2. उक्त वाद का विषयवस्तु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त साहित्यालंकार की उपाधि की मान्यता से संबंधित है।

3. विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 15.09.2025 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परामर्शानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 10878 दिनांक 24.08.2017 का अनुपालन करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1234 दिनांक 27.11.2025 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार प्राप्त कुल 08 कर्मियों के कार्यकारी प्रभार को निरस्त करते हुए उनके मूल विद्यालय में वापस किया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या 11255 / 16 में दिनांक 22.08.2019 को एवं वाद संख्या 19828 / 25 में दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में पुनः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1234 दिनांक 27.11.2025 को निरस्त किया जाता है।

ह० / –
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–08 / बु०वि०–10–02 / 2025 ...110....... / पटना, दिनांक ...19.01.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / संबंधित सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / संबंधित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / संबंधित सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0) / संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी / संबंधित सभी प्रधानाध्यापक, राजकीय बुनियादी विद्यालय एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों / कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1234 दिनांक 27.11.2025 के आलोक में विरमित पदाधिकारी को उनके पूर्व के पद (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) पर जहाँ पदस्थापित थे, वहाँ योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

19/01/26

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)